1. अंग और ऊतक दान

1. एक अंग (organ) क्या है?

अंग शरीर का एक हिस्सा है जो एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करता है: जैसे आपका हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत आदि।

2. किन अंगों का दान किया जा सकता हैं?

इन अंगों का दान किया जा सकता हैं: यकृत, गुर्दे, अग्न्याशय, हृदय, फेफड़े, आंत।

3. ऊतक (Tissue) क्या है?

ऊतक एक कोशिका समूह है जो मानव शरीर में एक विशेष कार्य करता है। इसके उदाहरण हड्डी, त्वचा, आंख की कॉर्निया, हृदय वाल्व, रक्त वाहिकाएं, नस और कण्डरा आदि हैं।

4. किन ऊतकों का दान किया जा सकता हैं?

इन ऊतकों का दान किया जा सकता हैं:कॉर्निया, हड्डी, त्वचा, हृदय वाल्व, रक्त वाहिकाएं, नस और कण्डरा आदि।

5. अंग दान क्या है?

अंग दान एक व्यक्ति को बीमारी के अंतिम चरण में और अंग प्रत्यारोपण की जरूरत होने पर एक अंग का उपहार देना है।

6. अंग दान दो प्रकार के होते हैं?

अंग दान के दो प्रकार के होते हैं: –

i) जीवित दाता द्वारा अंग दान : अपने जीवन के दौरान एक व्यक्ति एक गुर्दा दान कर सकता है (उसका दूसरा गुर्दा दाता के लिए पर्याप्त रूप से शरीर के कार्यों को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए), अग्न्याशय का हिस्साक (अग्न्याशय का आधा हिस्सा अग्नाशय के कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है) यकृत का हिस्सो (यकृत के हिस्से प्राप्तकर्ता और दाता दोनों में समय की अवधि के बाद पुनः बन जाएंगे)।

ii) मृतक दाता अंग दान: एक व्यक्ति (मस्तिष्क हृदय) की मौत के बाद कई अंगों और ऊतकों का दान कर सकते हैं। उसके अंग किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में जीवित बन रहते हैं।

7. क्या अंग दान के लिए उम्र की कोई सीमा है?

अंग दान के लिए आयु सीमा अलग अलग है, जो इस पर निर्भर करती है कि क्या जीवित व्यक्ति द्वारा दान किया जा रहा है या मृत व्यक्ति द्वारा, उदाहरण के लिए जीवित व्यक्ति द्वारा दान हेतु व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और अधिकांश अंगों के लिए निर्णय लेने वाला कारक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति है, उसकी उम्र नहीं। विशेषज्ञ स्वयं ही देखभाल व्यवसायिक व्यक्ति तय करते हैं कि हर मामले के अनुसार कौन सा अंग उपयुक्त है। लोगों में उनके 70 और 80 वर्ष के दौरान अंगों और ऊतकों को दुनिया भर में सफलता पूर्वक प्रत्यारोपित किया गया है। ऊतकों और आंखों के मामले में आम तौर पर उम्र महत्वा नहीं रखती। एक मृत दाता आम तौर पर निम्नलिखित आयु सीमा के अंदर अंगों और ऊतकों का दान कर सकता है:

गुर्दे, यकृत:	70 वर्ष तक
हृदय, फेफड :	50 वर्ष तक
अग्न्याशय, आंत:	60-65 वर्ष तक
कॉर्निया, त्वचा:	100 वर्ष तक
हृदय वाल्व:	50 वर्ष तक
हड्डी :	70 वर्ष तक

8. कौन एक दाता हो सकता है?

जीवित दाता : एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है, जो स्वेच्छा से अपने अंग और ऊतक निकालने का अधिकार अपने जीवन काल के दौरान चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए प्रचलित चिकित्सात प्रथाओं के अनुसार देता है।

मृतक दाता : कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र, नस्ल लिंग कोई भी हो वह अपनी मृत्यु (मस्तिष्क हृदय) के बाद अंग और ऊतक दाता बन सकता है। मृत शरीर से इसके लिए उसके निकट संबंधियों या कानूनी तौर पर उसके साथ उस संबंध रखने वाले व्यक्ति की सहमति आवश्यक होती है। यदि मृतदाता की उम्र 18 साल से कम है तो माता पिता में से किसी एक या माता पिता द्वारा अधिकृत नजदीकी रिश्तेदार की सहमति अनिवार्य है। दान देने की चिकित्सा उपयुक्तकर्ता का निर्धारण मृत्यु के समय किया जाता है।

9. मैं एक दाता कैसे हो सकता हूं, दाता प्रतिज्ञा लेने की क्या प्रक्रिया है?

आप अधिकृत अंग और ऊतक दान प्रपत्र (फॉर्म –7 टीएचओए के अनुसार) में अपनी दाता बनने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट**www-notto-nic-in** पर साइन इन द्वारा अपने अंगों के दान की शपथ ले सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं या स्वयं हमारी वेबसाइट से प्रपत्र 7 डाउनलोड करते हुए अपना ऑफ लाइन पंजीकरण करा सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्रपत्र 7 भरें और एनओटीटीओ के नीचे दिए गए पते पर हस्ताक्षरित प्रति भेजें :

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन,
चौथा तल, एनआईओपी बिल्डिंग, सफदरजंग अस्पताल परिसर,
नई दिल्ली–110029

10. क्या मुझे हमेशा अपना दाता कार्ड साथ रखने की जरूरत है?

हां, यह स्वास्थ्य पेशेवरों और आपके परिवार के लिए मददगार होगा।

11. क्या मुझे एक से अधिक संगठन के साथ अपनी प्रतिज्ञा दर्ज करने की आवश्यकता है?

नहीं, यदि आपने पहले से ही एक संगठन के साथ प्रतिज्ञा की है और एक दाता कार्ड प्राप्त किया है, तो आपको किसी भी अन्य संगठन के साथ दर्ज करने की जरूरत नहीं है।

12. एक व्यक्ति, एक परिवार के बिना, प्रतिज्ञा दर्ज करा सकता है?

हां , आप प्रतिज्ञा कर सकते हैं किंतु आपको अपने जीवन के किसी बहुत नजदीकी व्यक्ति को, लंबे समय रहे दोस्त या घनिष्ठ सहकर्मी को सूचित करना चाहिए कि आपने यह प्रतिज्ञा लेने का निर्णय लिया है। अपनी दान देने की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं देखभाल कर्मी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो आपकी मृत्यु के समय सहमति के लिए आपके पास होंगे।

13. अंगों के दान के बाद मेरे परिवार या मेरे लिए क्या लाभ है?

अंग या ऊतक को दान करने से आपको किसी व्यक्ति के जीवन को दोबारा जीने का ऐसा अवसर देने का लाभ मिलता है जिसकी कोई तुलना नहीं है। आपका दान न केवल एक व्यक्ति या उसके परिवार के जीवन पर प्रभाव डालेगा, बल्कि कुल मिलाकर समाज को भी इससे सहायता मिलेगी।

14. यदि मैं पहले प्रतिज्ञा करूं और बाद में मेरा मन बदल जाए तो क्या होगा?

हां, आप NOTTO कार्यालय में कॉल द्वारा या लिखित रूप से या NOTTO की वेबसाइट www.notto.nic.in के जरिए अपनी प्रतिज्ञा बदल सकते हैं और आपके एकाउंट में लॉग इन द्वारा प्रतिज्ञा का विकल्प बंद कर सकते हैं। आपके परिवार को भी बताएं कि आपने अंग दान करने की प्रतिज्ञा के बारे में अपना मन बदल दिया है।

15. अंगों और ऊतकों के दान के लिए क्या किसी भी धर्म में आपत्तियां बताई गई हैं?

नहीं, हमारे बड़े धर्मों में किसी में भी अंग और ऊतकों के दान पर कोई आपत्ति नहीं लगाई गई है, बल्कि ये इस पवित्र कार्य को प्रोत्साहन और समर्थन देते हैं। यदि आपको कोई शंका है तो आप अपने आध्यात्मिक गुरू, धार्मिक नेता या सलाहकार से चर्चा कर सकते हैं।

16. औसतन भारत में कितने मरीजों को अंग प्रत्यारोपण की जरूरत है?

भारत में अंगों के विफल हो जाने की बड़ी संख्या के कारण ऊतक और अंग प्रत्यारोपण की जरूरत बहुत अधिक है। आवश्यक अंगों के लिए कोई संगठित आंकड़े

उपलब्ध नहीं हैं, और यह संख्या केवल अनुमान पर आधारित है। हर वर्ष, व्यक्तियों की निम्नलिखित संख्या को बताए गए अंग के अनुसार अंग/ऊतक प्रत्यारोपण की जरूरत होती है :

गुर्दे	2,50,000
यकृत	50,000
हृदय	50,000
कॉर्निया	1,00,000

17. जिन लोगों ने जीवन में अंग दान के लिए प्रतिज्ञा की है, क्या वे निश्चित रूप से अंग दाता बन जाएंगे?

नहीं, कुछ ही लोग उन परिस्थितियों में मरते हैं जहां वे अपने अंगों का दान करने में सक्षम हो सकें। यही कारण है कि हमें अंग दान करने और संभावित दाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने की प्रतिज्ञा लेने वाले लोगों की जरूरत है।

18. क्या दाताओं की छानबीन से यह पता लगाया जाता है कि उन्हें कोई संचारी रोग है?

हां, सभी संभावित दाताओं से रक्त लिया जाता है और इसमें किसी संचारी रोग और हिपेटाइटिस जैसे वायरस की छानबीन के लिए इनकी जांच की जाती है। संभावित दाता के परिवार को बताया जाता है कि यह प्रक्रिया आवश्यक है।

19. यदि मुझे इस समय एक चिकित्सा परिस्थिति है तो क्या मैं एक दाता हो सकता हूं?

हां, अधिकांश मामलों में आप दाता हो सकते हैं। एक ऐसी चिकित्साक परिस्थिति व्यक्ति को अनिवार्य तौर पर अंग या ऊतक दाता बनने से नहीं रोकती है। यह निर्णय कि क्या कुछ अंग या सभी अंग या ऊतक प्रत्यारोपण के लिए उचित हैं, इसका निर्णय आपके पिछले चिकित्सा विवरण को विचार में लेकर स्वयं देखभाल व्यावसायिक कार्मिक द्वारा लिया जाता है। बहुत कम मामलों में हिपेटाइटिस –सी वाले दाताओं के अंगों को समान परिस्थितियों वाले लोगों की सहायता में इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल केवल तभी किया जाता है जब दोनों व्यक्तियों में यह स्थिति होती है। सभी दाताओं को संक्रमण से रोकथाम के लिए बचाव के सघन उपाय करने चाहिए।

20. यदि मैंने रक्त दान के लिए मना कर दिया है, तो क्या मैं एक अंग दाता हो सकता हूं?

हां, इसके बारे में निर्णय कि कुछ या सभी अंग या ऊतक प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त हैं, इसका निर्णय आपके पिछले चिकित्सा विवरण को विचार में लेकर हमेशा किसी विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाएगा। इसके विशिष्ट कारण हो सकते हैं कि रक्त दान करना संभव क्यों नहीं है, जैसे खून की कमी होना या रक्त आधान या पिछले दिनों में हिपेटाइटिस का प्रभाव या ऐसे कोई अन्य कारण जिनसे आप अपने स्वास्थ्य के कारण

उस वक्त रक्त दान नहीं कर सके – कभी कभार एक सरल स्थिति जैसे जुकाम या आप द्वारा ली जाने वाली दवा के कारण आप रक्तदान नहीं कर सकते।

21. पूरे शरीर के दान से अंग दान कैसे अलग है?

चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए अंग दान मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (टीएचओए 1994) के तहत कवर किया जाता है। पूरे शरीर के दान को शारीरिक रचना अधिनियम 1984 द्वारा कवर किया जाता है।

अंग और ऊतक प्रत्यारोपण को अन्य लोगों के लिए जीवन देने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अंतिम चरण पर अंग के विफल रहने से पीड़ित जरूरत मंद लोगों को उसके अंग मृत्यु के बाद लगाए जाते हैं।

शरीर का दान चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा के लिए मौत के बाद व्यक्ति के शरीर को देने का कार्य है। जो लोग मृत शरीर का दान करते हैं, वे शरीर रचना वैज्ञानिकों और चिकित्सा शिक्षकों द्वारा पूरी शारीरिक संरचना सिखाने का एक प्रधान साधन बने रहते हैं।

22. एक मृत शरीर चिकित्सा शिक्षा के लिए छोड़ दिया जाता है या अनुसंधान के बाद अंग दान को पुनः प्राप्त किया जा सकता है?

नहीं, यदि अंगों का दान किया गया है या पोस्टि मॉर्टम जांच कराई गई है तो शरीर को अध्याजपन के प्रयोजन हेतु स्वीकार नहीं किया जाता है। जबकि, यदि केवल कोर्निया को दान किया जाता है, तो शरीर को अनुसंधान के लिए छोड़ा जा सकता है।

23. मैं अंग दान को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता हूं?

आप ऐसे मदद कर सकते हैं:

- एक दाता बनने और दूसरों की जान बचाने के लिए आप अपने निर्णय के बारे में अपने परिवार से बात कर सकते हैं।
- लोगों को कार्य स्थल पर, अपने समुदाय, अपने पूजा के स्थल पर और अपने नागरिक संगठनों में प्रेरणा देकर दान का प्रोत्साहन दे सकते हैं।

2. अंग और ऊतक प्रत्यारोपण

1. प्रत्यारोपण क्या है?

प्रत्यारोपण एक व्यक्ति से एक अंग को सर्जरी द्वारा निकालकर दूसरे व्यक्ति में लगाना है। प्रत्यारोपण की आवश्यकता तब पड़ती है जब इसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति का वह अंग काम नहीं करता है या किसी चोट अथवा बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है।

2. अंतिम चरण के ऐसे कौन से रोग है जिन्हें प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है?

अंतिम चरण के कुछ ऐसे रोग हैं जिन्हें प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है:

रोग	अंग
दिल का दौरा	हृदय
फेफड़े की टर्मिनल बीमारी	फेफड़े
गुर्दे की विफलता	गुर्दे
यकृत की विफलता	यकृत
मधुमेह	अग्न्याशय
कॉर्नियल अंधापन	आंखें
हृदय वाल्वुलर रोग	हृदय वाल्व
गंभीर जलन	त्वचा

3. प्रत्यारोपण प्रक्रिया के बारे में मुझे कौन बताएगा?

प्रत्यारोपण समन्वयक और पंजीकृत चिकित्सक उपचार के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के बारे में आपको समझाएंगे।

4. प्रत्यारोपण के समन्वयक कौन है?

प्रत्यारोपण समन्वयक का अर्थ है अस्पताल द्वारा मानव अंग या ऊतक या दोनों के प्रत्यारोपण या इन्हें निकालने से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करने के लिए अस्पताल द्वारा नियुक्ति व्यक्ति, जो मानव अंग निकालने के लिए प्राधिकरण की सहायता करते हैं। जबकि इनका कार्य अधिकांशतः मृत अंग दान से संबंधित है, ये जीवित अंग दान के लिए भी जिम्मेदार हैं। मानव अंग प्रत्यारोपण के वर्तमान अधिनियम में संकल्प ना की गई है कि प्रत्यारोपण गतिविधि करने वाले प्रत्येक अस्पताल, चाहे यहां पुनः प्राप्ति की जाती हो या अंग प्रत्यारोपण किया जाता हो, उस केंद्र को अस्पताल में अधिनियम के तहत प्रत्यारोपण हेतु पंजीकृत कराने से पहले वहां एक प्रत्यारोपण समन्वयक होना अनिवार्य है। प्रत्यारोपण समन्वयक अंग दान और प्रत्यारोपण में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

5. अंग और ऊतक प्रत्यारोपण में एक प्रत्यारोपण समन्वयक की क्या भूमिका है?

एक प्रत्यारोपण समन्वयक को शोकाकुल परिवार को देनी होती है और व्यक्ति की आंखें दान करने के लिए तथा बाद में ठोस अंग दान के लिए संपर्क करना होता है। यदि परिवार अंग देने के लिए सहमत होता है तो समन्वयक द्वारा नोडल अधिकारी को जानकारी दी जाती है तथा आईसीयू कर्मचारियों के साथ रोगी को वेंटिलेटर पर रखने और अंग प्राप्ति के लिए व्यवस्था का समन्वेय करने की जरूरत होती है। समन्वयक को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी कागजी कार्रवाई सही तरीके से की जाती है और परिवार को जल्दी से जल्दी ही शरीर अंतिम क्रिया के लिए सौंप दिया जाता है।

6. क्या अंग प्रत्यारोपण के खर्च के लिए कोई बीमा कवर है?

कुछ वर्ष पहले तक, दाता और ग्राही दोनों के लिए ही प्रत्यारोपण की लागत को बीमा की अधिकांश कंपनियों द्वारा कवर नहीं किया जाता था। अब इन दिनों कुछ बीमा कंपनियां प्रत्यारोपण से संबंधित खर्च को कवर करती हैं। यह बेहतर होगा कि आप बीमा कराते समय इसे सुनिश्चित कर लें।

7. क्या प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत करने की कोई आयु सीमा है?

हां, रोगी को प्रत्यारोपण के लिए फिट होना चाहिए और प्रत्यारोपण के लिए रोगी की फिटनेस का आकलन करने के लिए मानदण्डों में उम्र एक बिंदु है।

8. क्या अंग प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा सूची होती है?

एक अंग प्राप्त करने के लिए इंतजार करने वाले लोगों की एक लंबी सूची है।

9. व्यक्ति का नाम प्रतीक्षा सूची में कैसे दर्ज हो सकता है?

एक रोगी पंजीकृत प्रत्यारोपण अस्पताल के माध्यम से प्रतीक्षा सूची में शामिल होने का पंजीकरण करा सकता है। अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर मूल्यांकन करेंगे (चिकित्सार जानकारी, स्वापस्थ्ये की मौजूदा स्थिति और अन्य कारकों के आधार पर) और निर्णय लेंगे कि क्या रोगी को प्रत्यारोपण की जरूरत है वह सूची में दिए गए मानदण्ड पूरे करता है। जैसे कि गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए, रक्त समूह के अलावा मुख्य मानदण्ड वह समय है जब से रोगी नियमित रूप से डायालिसिस कराता है। इसी प्रकार अन्य अंगों के लिए मानदण्ड पिछली चिकित्सा जानकारी, स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति, और अन्य कारकों पर आधारित होते हैं।

10. मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अंग प्रत्यारोपण के लिए सूचीबद्ध होने के लिए फिट हूं?

प्रत्येक रोगी जिसमें अंग की विफलता का अंतिम चरण विकसित हो चुका है, वह अंग प्रत्यारोपण के लिए फिट नहीं होता है। बुनियादी सिद्धांत यह है कि रोगी की छानबीन अंतिम चरण की अंग विफलता विकसित होने के लिए चिकित्सा आधार (चिकित्सा का इतिहास, स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति, और अन्य कारकों के आधार पर) पर की जानी चाहिए। आपका इलाज करने वाले डॉक्टर यह तय करेंगे कि क्या आप प्रत्यारोपण के लिए चिकित्सक की दृष्टि से फिट हैं और प्रतीक्षा सूची में रखने से पहले अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा।

11. मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा?

जब आपको राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है तो आपको उसी दिन भी अंग मिल सकता है या आपको कई सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है। आपको दाता के साथ मिलान करने, आपकी बीमारी की स्थिति और आपके स्थानीय क्षेत्र में प्रतीक्षारत रोगियों की संख्या की तुलना में उपलब्धी दाताओं की संख्यास इसे प्रभावित करने वाले कारक हैं।

12. प्रतीक्षा सूची इतनी लंबी क्यों है?

प्रत्यारोपण के लिए मांग और आपूर्ति के बीच भारी असमानता है। प्रत्यारोपण के लिए उपलब्ध अंगों की संख्या की तुलना में विभिन्न अंगों की आवश्यकता वाले रोगियों की संख्या अधिक है। यही कारण है कि अंग दान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तत्काल आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोग जब अंग दान करने की प्रतिज्ञा करेंगे तब यह प्रतीक्षा सूची समाप्त होगी।

13. एक सही दाता को खोजने की क्या प्रक्रिया है?

जब प्रत्यारोपण अस्पताल में एक व्यक्ति का नाम प्रतीक्षा सूची में आता है तो इसे नामों के समूह में रखा जाता है। जब कोई मृतक अंग दाता उपलब्ध हो जाता है तो उस दाता के साथ समूह में मौजूद सभी रोगियों की तुलना की जाती है। कारक जैसे चिकित्सा तात्कालिकता, प्रतीक्षा सूची में लगने वाला समय, अंग का आकार, रक्त समूह और आनुवंशिक बनावट पर विचार किया जाता है।

14. एक शव के अंग प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा?

इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति को अपने लिए एक अंग हेतु कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यह उसकी चिकित्सा परिस्थिति और उस शहर या राज्य में अंग के उपलब्ध होने की संख्यास पर निर्भर करता है

15. क्या मेरे पास अंग प्रत्यारोपण के अलावा अन्य विकल्प है?

इस प्रश्न का उत्तर इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा चिकित्सान स्थिति और अंग की क्षति के चरण के आधार पर दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए गुर्दे की विफलता के एक मामले में, डायलिसिस एक विकल्पिक उपचार है और गुर्दे के विफल होने पर आम तौर पर रोगी को प्रत्यारोपण की आवश्यकता आपातकालीन स्थिति नहीं होती है। साथ ही दिल का दौरा पड़ने वाले रोगी के लिए, कुछ रोगियों को कृत्रिम हृदय सहायक उपकरणों पर रखा जा सकता है। इसी प्रकार अन्यी अंगों के लिए मानदण्ड अलग अलग हैं, जिन्हें कुछ समय के लिए चिकित्सा उपचार पर रखा जा सकता है।

16. क्या यह जानना संभव है कि प्रतीक्षा सूची में मेरी क्या स्थिति है?

हां , आप प्रतीक्षा सूची में अपनी स्थिति जान सकते हैं, क्योंकि यह एक पारदर्शी प्रणाली है। किंतु इससे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि एक अंग का मिलना केवल प्रतीक्षा सूची की संख्या के अलावा अन्य अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

17. क्या मुझे हमेशा प्रत्यारोपण के लिए कॉल प्राप्त करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है?

हां, यह बेहतर है कि आप मानसिक रूप से तैयार रहें और तत्काल अंग प्रत्यारोपण के लिए कुछ धनराशि रखें। ज्यादातर शव प्रत्यारोपण के मामले तात्कालिक आधार पर होते हैं। यही कारण है कि आपको शव प्रत्यारोपण के लिए जांचों की अद्यतन जानकारी हर समय होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी कॉल प्राप्त होती है आप अंग प्राप्त कर सकते हैं। मृत शरीर का अंग एक उपहार है और इसे खोना नहीं चाहिए।

18. यदि मुझे प्रत्यारोपण के लिए एक कॉल आता है तो क्या मुझे निश्चित रूप से अंग मिल जाएगा?

नहीं, प्रत्यारोपण के लिए आने वाले कॉल का अर्थ यह नहीं है कि आपको निश्चित रूप से अंग मिल जाएगा। प्रत्यारोपण दल इसके प्रत्यारोपण हेतु आपकी तत्काल फिटनेस की जांच करेगा। इसकी संभावना है कि प्रत्यारोपण के ठीक पहले की गई जांच आपको प्रत्यारोपण के लिए सामान्य नहीं दर्शाती है पुनः एक से अधिक रोगियों को संभावित प्रत्यारोपण के लिए बुलाया जा सकता है और इसकी संभावना है कि उस विशेष अंग प्रत्यारोपण के लिए दूसरे व्यक्ति को आपकी तुलना में अधिक फिट पाया जाता है।

19. क्या एक दाता या प्राप्तकर्ता के परिवार कभी एक दूसरे को जानेंगे?

नहीं, मृत अंग दान कार्यक्रम में हमेशा गोपनीयता बनाए रखी जाती है, यह जीवित दाताओं के मामले से अलग है जो आम तौर पर पहले से एक दूसरे को जानते हैं। यदि परिवार चाहता है तो उन्हें उस व्यक्ति की आयु और लिंग जैसे कुछ संक्षिप्त

विवरण बता दिए जाते हैं जिसे दान पाने से लाभ हुआ है। जिन रोगियों को अंग प्राप्त होते हैं वे अपने दाताओं के बारे में समान प्रकार के विवरण प्राप्त कर सकते हैं। यह हमेशा संभव नहीं है कि ऊतक प्रत्यारोपण के कुछ प्रकारों में दाता को ग्राही की जानकारी प्रदान की जाए। जो लोग बेनाम रहना चाहते हैं वे अपने धन्यवाद पत्र या शुभकामनाएं प्रत्यारोपण समन्वयक के माध्यम से भेज सकते हैं। कुछ मामलों में दाता परिवारों और ग्राहियों ने मिलने की व्यवस्था जो की है।

20. क्या प्रतीक्षा सूची बनाए रखने के लिए प्रोटोकॉल है?

प्रोटोकोल के अनुसार, जिन रोगियों को मृत अंग की जरूरत होती है, उन्हे प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है। किंतु भारत में अंगों की आवश्कता वाले रोगियों की संख्या उपलब्ध अंगों की तुलना में बहुत अधिक है। इसमें दो प्रकार की प्रतीक्षा सूचियां हैं एक तत्काल प्रतीक्षा सूची और दूसरी नियमित प्रतीक्षा सूची। मृत अंग प्रत्यारोपण के लिए रोगियों की तात्कालिक प्रतीक्षा सूची प्राथमिक तौर पर चिकित्सा मानदण्डों अर्थात रोगी की आवश्यकता के अंगों को तात्कालिक आधार पर बनाई जाती है अन्यथा वह जीवित नहीं रहेगा। नियमित प्रतीक्षा सूची भी चिकित्सा मानदण्डों पर आधारित होती है और ये मानदण्ड विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए मुख्य मानदण्ड नियमित डायालिसिस पर लगने वाला समय है। इसी प्रकार अन्य अंगों के लिए मानदण्ड अलग अलग होते हैं।

21. अंग वितरण के लिए प्रोटोकॉल क्या है ?

इन अंगों को सबसे पहले राज्य के अंदर वितरित किया जाएगा और यदि कोई मिलान नहीं पाया जाता है तो इन्हें पहले क्षेत्रीय और फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित किया जाएगा, जब तक ग्राही नहीं मिल जाता। दाता के अंगों का इस्तेमाल करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। चना सिखाने का एक प्रधान साधन बने रहते हैं।

22. दान दिए गए अंगों को रोगियों के साथ कैसे मिलाया जाता हैं?

एक सफल अंग प्रत्यारोपण सुनिश्चित करने के लिए कई चिकित्सा कारकों का मिलान करने की जरूरत होती है। रक्त समूह एक प्रमुख कारक है जिसे विचार में लिया जाता है। दाता और ग्राहियों के अंगों के साइज पर भी विचार किया जाता है। गुर्दों के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कारक ऊतक मिलान है, जो रक्त समूह के मिलान के अलावा अधिक जटिल होता है और इसमें अधिक समय भी लगता है। यदि गुर्दे का सही मिलान हो जाता है तो सर्वोत्तम परिणाम मिल सकते हैं। एक अंग प्रत्यारोपण के लिए इंतजार कर रहे मरीजों की एक स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कम्प्यूटरीकृत सूची है। अधिकांश समय कंप्यूटर द्वारा एक विशेष अंग के लिए रोगी का सर्वोत्तम मिलान ज्ञात किया जाता है और प्रत्यारोपण इकाई को इस अंग का प्रस्ताव भेजा जाता है जो उस रोगी का इलाज कर रही है। साथ ही उन रोगियों को प्राथमिकता दी जाती है

जिन्हें प्रत्यारोपण की तत्कालिक आवश्यकता है। NOTTO द्वारा प्रतीक्षा सूची और अंग आबंटन प्रणाली का रखरखाव किया जाता है। यह पूरे वर्ष हर समय कार्य करता है। ऊतकों के मामले में आम तौर पर आवश्यक नहीं होता है।

23. क्या मेरे अंगों को एक विदेशी को भी दिया जा सकता है?

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अनुसार, अंगों के आबंटन का क्रम इस प्रकार होगा : राज्य सूची – क्षेत्रीय सूची – राष्ट्रीय सूची – भारतीय मूल के व्यक्ति–विदेशी।

3. जीवित दाता संबंधित प्रत्यारोपण

1. जीवित दाता अंगदान क्या है ?

जीवित दाता अर्थ है अपने जीवन के दौरान एक व्यक्ति (एक गुर्दे शरीर के कार्यों को बनाए रखने के लिए सक्षम है) एक गुर्दा दान कर सकते हैं, अग्न्याशय के एक हिस्से (अग्न्याशय के आधे से अग्नाशय के कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है) और यकृत का एक हिस्सा (यकृत के हिस्से एक समय अवधि के बाद दोबारा बन जाएंगे)।

2. जब तक मैं जिंदा हूं तो क्या मैं अंग दान कर सकता हूं?

हां, जीवन के दौरान केवल कुछ अंगों का दान किया जा सकता है। एक जीवित व्यक्ति द्वारा दान दिया जाने वाला सबसे सामान्य अंग गुर्दा है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति केवल एक कार्यशील गुर्दे के साथ पूरी तरह सामान्य जीवन बिता सकता है। जीवित दाताओं से प्रत्यारोपित किए गए गुर्दों की तुलना में मृत दाता से प्रत्यारोपित किए गए गुर्दे की उत्तर जीविता के बेहतर अवसर होते हैं। भारत में वर्तमान में प्रत्यारोपित किए जाने वाले सभी गुर्दों में लगभग 90 प्रतिशत जीवित दाता से होते हैं। गुर्दे के अलावा, यकृत के हिस्से को भी प्रत्यारोपित किया जा सकता है और फेफडे के एक छोटे हिस्से को भी दान देना संभव है, और बहुत कम संख्या में छोटी आंत का हिस्सा भी दान किया जा सकता है। जीवित दाता प्रत्यारोपण के सभी मामलों में दाता के जोखिम पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। एक जीवित दाता द्वारा प्रत्यारोपण से पहले कुछ कठोर नियम पूरे करने होते हैं और आकलन तथा चर्चा की एक गहरी प्रक्रिया से गुजरना होता है।

3. जीवित अंग दान के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

जीवित निकट संबंधित दाताः आम तौर पर केवल तत्काल रक्त संबंधों को दाताओं के रूप में स्वीकार किया जाता है अर्थात् माता–पिता, भाई बहन, बच्चे, दादा दादी और नाती (टीएचओए अधिनियम 2014)। पत्नी को भी निकट रिश्तेदार की श्रेणी में आने

वाले एक दाता के रूप में स्वीकार किया जाता है और एक दाता होने की अनुमति दी जाती है।

जीवित गैर – निकट संबंधित दाताः प्राप्तकर्ता या रोगी के निकट रिश्तेदार के अलावा हैं। वे केवल प्राप्तकर्ता के प्रति स्नेह और लगाव के कारण या किसी अन्य विशेष कारण के लिए दान कर सकते हैं।

स्वैप दाता : उन मामलों में, जीवित निकट रिश्तेदार दाता प्राप्तकर्ता के साथ मेल नहीं कर पाते हैं, इस तरह के दो जोड़ों के बीच दाताओं की स्वैपिंग के लिए प्रावधान मौजूद हैं जहां पहली जोड़ी के दाता दूसरी जोड़ी के दूसरे प्राप्तकर्ता और पहले प्राप्तकर्ता दूसरे दाता के साथ मेल खाते हैं। इसकी अनुमति केवल दाताओं के रूप में निकट रिश्तेदारों के लिए है।

4.क्या जीवित दाता के लिए कोई आयु सीमा है ?

हां, जीवित अंग दान के लिए उम्र की कुछ सीमा है। जीवित दान 18 वर्ष की आयु के बाद किया जाना चाहिए।

5. स्वैप दान क्या है?

संभावित रिश्तेदार दाता होते हैं, जो अन्यथा इसके इच्छुक होते हैं, किंतु रक्त समूह में मिलान नहीं होने के कारण या अन्य किसी चिकित्सा कारण से उस विशेष ग्राही को परिवार के व्यक्ति का अंग दान करना उचित नहीं होता है। पुनः एक अन्य समान पारिवारिक स्थिति में भी ऐसा हो सकता है। तथापि, इन दो परिवारों में, एक परिवार के दाता अन्य परिवार के ग्राही के लिए चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त हो सकते हैं और इसके विपरीत स्थिति हो सकती है। तब ये दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और अलग अलग परिवारों के इन दो ग्राहियों के लिए अंग प्रत्यारोपण संभव हो जाता है। इसे 'स्वैप दान' प्रत्यारोपण कहा जाता है। स्वैप प्रत्यारोपण कानूनी तौर पर **THO** (संशोधित) अधिनियम 2012 में अनुमत है।

6. मेरे अंग दान करने के बाद क्या मैं चिकित्सकीय रूप से अयोग्य हो जाऊंगा?

नहीं, यह जीवित दान कार्यक्रम का बुनियादी सिद्धांत है कि व्यक्ति दान करने के बाद अपने शेष जीवन में पूरी तरह स्वस्थ बना रहता है। इस प्रकार, दाता किसी भी उद्देश्य के लिए चिकित्सकीय दृष्टि से अयोग्य नहीं होता है। तथापि, ऐसी स्थिति में, जीवित अंग दाता के साथ कुछ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। जैसे कि सशस्त्र सेना बलों में एक अंग दाता को सामान्य नहीं माना जाता और दाता के सामने नौकरी में पदोन्नति आदि से संबंधित मामलों में कुछ मुद्दे उठते हैं।

7. क्या यह संभव है कि एक दोस्त या अन्य निकट रिश्तेदार से अंग प्राप्त कर सकते है?

कोई जीवित व्यक्ति अपने नजदीकी रिश्तेदार के अलावा प्रेम वश और जुड़ाव के कारण किसी ग्राही व्यक्ति को अंग का दान कर सकता है या किसी अन्य विशेष कारण से भी ऐसा किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, इसे अस्पताल की प्राधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, जहां प्रत्यारोपण किया जा रहा है। प्राधिकार समिति का अनुमोदन रिश्तेदार को शामिल करने के मामलों के अलावा अन्य सभी मामलों में अनिवार्य है। उक्त प्राधिकार समिति यदि अस्पताल में मौजूद नहीं है तो इसे जिले के संबंधित जिला या राज्य स्तर प्राधिकरण समिति द्वारा (या राज्य, यदि जिला स्तर पर कोई समिति नहीं है), जहां प्रत्यारोपण अस्पताल स्थित है, अनुमोदित किया जाता है।

4. मृतक दाता संबंधित प्रत्यारोपण

1. शव मृत शरीर क्या है?

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार "मृत" को मृत मानव शरीर के रूप में परिभाषित किया गया है। "मृत" शब्द को चिकित्सा की दृष्टि से विच्छेदन और अध्ययन में उपयोग किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में, "मृत" का अर्थ है धड़कते हुए हृदय के साथ जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया मस्तिष्क मृत शरीर।

2. मृतक दाता अंग दान क्या है?

एक व्यक्ति ब्रेन स्टेम मौत के बाद कई अंग और ऊतक दान कर सकता है। उसके अंग किसी और व्यक्ति में जीवित बने रहते हैं।

3. एक मृतक दाता कौन से अंग और ऊतक दान कर सकता है?

यदि विभिन्न अंग और ऊतक चिकित्सकीय रूप से फिट स्थिति में हैं, तो निम्न अंगों और ऊतकों का दान किया जा सकता है::

अंग	ऊतक
दोनों गुर्दे	दो कॉर्निया
यकृत	त्वचा
हृदय	हृदय वाल्व
दो फेफड़े	कार्टिलेज उपास्थि / स्नायुबंधन
आंत	हड्डियां / कण्डरा
अग्न्याशय	वेसल्स

4.ब्रेन स्टेम मृत्यु क्या है?

ब्रेन स्टेम मौत के कारण अपरिवर्तनीय क्षति के लिए ब्रेन स्टेम के कार्य की समाप्ति है। यह एक अपरिवर्तनीय स्थिति है और इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसे भारत में मस्तिष्क मृत्यु भी कहा जाता है। एक ब्रेन स्टेम से मृत व्यक्ति अपने आप साँस नहीं ले सकता है हालांकि हृदय में एक इनबिल्ट तंत्र होता है जिससे यह लंबे समय से ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति होने तक पंप करता है। एक वेंटीलेटर ब्रेन स्टेम मृत व्यक्तियों के फेफड़ों में हवा में डालना जारी रखता है, उनके हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करना जारी रहता है और उनके रक्तचाप को बनाए रखने के लिए दवा दी जा सकती है। हृदय ब्रेन स्टेम की मौत के बाद एक समय अवधि तक धड़कना जारी रहेगा – इसका अर्थ यह नहीं है कि यह व्यक्ति जीवित है, या इसके दोबारा जीवित हो जाने का कोई मौका है। ब्रेन स्टेम मौत की घोषणा स्वीकृत चिकित्सा मानकों के साथ की जाती है। इस पैरामीटर में तीन क्लिनिकल प्राप्तियों पर बल दिया जाता है जो ब्रेन स्टेम सहित पूरे मस्तिष्क के सभी कार्यों के अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त हो जाने के लिए अनिवार्य है : कोमा (बेहोशी) एक ज्ञात कारण के साथ, मस्तिष्क सजगता का अभाव, और एपनिया (सहज साँस लेने की अनुपस्थिति) है। इन जांचों को चिकित्सा विशेषज्ञों के दल द्वारा कम से कम 6 से 12 घण्टों के अंतर पर दो बार किया जाता है। ब्रेन स्टेम मौत को **THOA** 1994 के बाद से स्वीकार कर लिया गया है।

5.क्या ब्रेन स्टेम मृत्यु को कानूनी तौर पर मौत के रूप में स्वीकार किया जाता है?

हां, 1994 के अनुसार ब्रेन स्टेम मौत को कानूनी तौर पर मौत के रूप में स्वीकार किया जाता है।

6. ब्रेन स्टेम मृत्यु कौन प्रमाणित करेगा?

टीएचओए बोर्ड के अनुसार निम्नलिखित चिकित्सा विशेषज्ञ मिलकर ब्रेन स्टेम मौत को प्रमाणित करेंगे :

1. अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर (चिकित्सा अधीक्षक)।
2. डॉक्टर को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा नियुक्त डॉक्टरों के एक पैनल से नामांकित किया जाता है।
3. न्यूरोलॉजिस्ट / न्यूरोसर्जन / इन्टेंसिविस्ट उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा नियुक्त एक पैनल से नामित किया है।
4. रोगी का इलाज करने वाला डॉक्टर। चार डॉक्टरों का पैनल मस्तिष्क मृत्यु प्रमाणित करने के लिए एक साथ परीक्षण करता है।

7. ब्रेन स्टेम मौत के बारे में परिवार को कौन बताएगा ?

डॉक्टर (इन्टेंसिविस्ट / न्यूरोलॉजिस्ट / न्यूरोसर्जन) जो रोगी का इलाज करते हैं, वे ब्रेन स्टेम मौत के बारे में परिवार को समझाएंगे।

8. यदि परिवार संभावित दाता के अंगों को दान करने के लिए तैयार हैं तो वे मृत मस्तिष्क स्टेम के संदर्भ में अधिक जानकारी पाने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं?

प्रत्यारोपण समन्वयक या आईसीयू के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं।

9. मृतक अंग दान में समय देरी के क्या कारण हैं?

मस्तिष्क की मृत्यु की पुष्टि 6 घण्टे के अंतर पर दो बार किए गए परीक्षण से होती है। जब अंगदान के लिए एक बार सहमति प्राप्त हो जाती है तो अंग प्राप्ति की प्रक्रिया के समन्वय में लगता है।

मृत दाता से अंग प्राप्ति में कई अस्पताल शामिल होते हैं और प्रत्यारोपण दल यह सुनिश्चित करता है कि दान किए गए अंग ग्राही के साथ अधिकतम संभव तरीके से मिलान वाले हों। यदि यह मेडिको लीगल मामला है तो पोस्ट मॉर्टम किया जाता है और इसमें पुलिस तथा फोरेंसिक मेडिसिन विभाग शामिल होते हैं।

10. एक मृतक दाता द्वारा जल्दी से अंग दान, प्रत्यारोपित कैसे किया जाना चाहिए?

स्वस्थ अंग को जल्द से जल्द प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। विभिन्न अंगों को अलग अलग समय के अंदर प्रत्यारोपित किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं :

हृदय	4–6 घंटे
फेफड़े	4–8 घंटे
यकृत	12–15 घंटे
अग्न्याशय	12–24 घंटे
गुर्दे	24–48 घंटे

11. मेरा अंग कौन प्राप्त करेगा?

आपके जीवित अंगों का प्रत्यारोपण उन व्यक्तियों में किया जाएगा जिन्हें इसकी तत्काल बहुत अधिक जरूरत है। जीवन का उपहार (अंग) ग्राही के साथ मिलान करने के बाद चिकित्सीय उपयुक्तता के आधार पर, प्रत्यारोपण की तात्कालिकता, प्रतीक्षा सूची की अवधि और भौगोलिक स्थान पर निर्भर करता है। NOTTO तथा इसकी राज्य इकाइयां (ROTTO , SOTTO) हर समय हर दिन पूरे वर्ष कार्य करेंगी और पूरे देश को कवर करेंगी। इसके ऊतकों का मिलान बहुत कम होता है, उदाहरण के लिए ऊतक का साइज और प्रकार, अन्यथा यह प्रत्यारोपण की जरूरत वाले प्रत्येक रोगी के लिए सहजता से उपलब्ध होता है।

12. ब्रेन स्टेम मृत्यु के बाद अंग दान की सहमति कौन दे सकता है?

एक व्यक्ति जिसके पास कानूनी तौर पर मृत व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वह सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है। आम तौर पर यह माता पिता, पति या पत्नी, बेटे / बेटी या भाई / बहन द्वारा किया जाता है। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर से परिवार यह कहता है कि उन्हें अपने प्रियजन के शरीर से अंगों को निकालने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह एक कानूनी दस्तावेज है। इस पत्र को अस्पताल में रखा जाता है।

13. यदि मेरे परिवार ने शव अंग दान करने से मना कर दिया, तो मेरा इलाज प्रभावित होगा?

तो उपचार नैदानिक स्थिति के अनुसार ही किया जाएगा। अंग दान की प्रक्रिया को आपके उपयुक्त इलाज के साथ कभी नहीं जोड़ा जाता है। ये दो अलग अलग इकाइयां है। एक दल दान के लिए पूरी तरह अलग से कार्य करता है। इसके साथ प्रत्यारोपण ऑपरेशन में शामिल डॉक्टरों को कभी भी संभावित दाता के परिवार की दान प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है।

14. क्या मैं यह भरोसा कर सकता हूं कि यदि मैं एक संभावित अंग दाता के रूप में पंजीकृत हूं, तब भी मेरा जीवन बचाने की कोशिश की जाएगी?

हां, यह स्वास्थ्य व्यवसायिक का कर्तव्य है कि वह रोगी के जीवन को बचाए। सभी प्रयासों के बावजूद यदि रोगी की मौत हो जाती है तो उसके अंग और ऊतक दान पर विचार किया जा सकता है तथा पुनः प्राप्ति और प्रत्यारोपण विशेषज्ञों के पूरी तरह अलग अलग दल इसके लिए कार्य करेंगे।

15. यदि मेरे पास एक दाता कार्ड है तो तो मेरा अंग मेरे परिवार के पूछे बिना ले जाया जाएगा?

नहीं, यदि आपके पास दाता कार्ड है तब भी आपके परिवार के नजदीकी सदस्यों और घनिष्ठ संबंधियों से अंगों और ऊतकों के दान के लिए पूछा जाएगा। मृत शरीर के विषय में कानूनी तौर पर इससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों की सहमति अनिवार्य है, इसके बिना दान नहीं कराया जा सकता है। यदि वे इसके लिए मना कर देते हैं तो अंग दान नहीं किया जाएगा।

16. क्या संभव है मैं यह इच्छा व्यक्त कर सकता हूं कि मेरे अंगों का दान कुछ लोगों के लिए है और कुछ के लिए नहीं है?

नहीं। किसी भी अंग और ऊतक को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक इन्हें स्वतंत्र रूप से दान नहीं दिया जाता। इसमें ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि इन्हें संभावित ग्राहियों की शर्तों के अनुसार स्वीकार किया जाए। आप खास तौर पर अंग

और / या ऊतक के विशिष्ट रूप से दान की इच्छा होने पर इसे व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें आप दान देना चाहते हैं।

17. अंग / ऊतक दान के लिए मेरे परिवार के लिए कोई प्रभार है?

नहीं। संभावित अंग दाता के परिवार के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं होता है। संभावित दाता को चिकित्सा की दृष्टि से दान होने के समय तक आईसीयू में रखने की जरूरत होती है। जब परिवार अंग और ऊतक दान के लिए सहमत हो जाता है तो इसके सभी प्रभार इलाज करने वाले अस्पताल द्वारा वहन किए जाते हैं और दाता परिवार को कोई खर्च नहीं करना होता है।

18. अंग / ऊतक निकालने से दाह संस्कार / दफन करने की व्यवस्था प्रभावित होती या शरीर विरूपित हो जाता है?

नहीं। अंग या ऊतक निकालने से पारंपरिक दाह संस्कार या दफनाने की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आती है। शरीर की बनावट में कोई बदलाव नहीं होता है। एक अत्यंत कुशल सर्जरी प्रत्यारोपण दल अंगों और ऊतकों को निकालता है, जिन्हें अन्य रोगियों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। सर्जन शरीर को सावधानीपूर्वक सिल देते हैं, अतः कोई विकृति नहीं होती है। शरीर को मृत्यु और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा सकता है और इसमें कोई विलंब नहीं होता।

19. घर में, मृत्यु के बाद अंगों को निकाला जा सकता है?

नहीं। इसे केवल व्यक्ति के मस्तिष्क की मृत्यु अस्पताल में होने पर घोषित किया जाता है और उसे वेंटिलेटर तथा अन्य जीवन सहायक प्रणालियों पर तुरंत रख दिया जाता है। घर पर मृत्यु के बाद केवल आंखों और कुछ ऊतकों को ही निकाला जा सकता है।

20. यदि मैंने अंग दान करने का वादा किया था, लेकिन मेरे परिवार ने मना कर दिया तो क्या होगा?

इन अधिकांश स्थितियों में, परिवार अंग का दान करने के लिए सहमत हो जाते हैं, यदि उन्हें पता होता है कि यह उनके प्रिय जन की इच्छा थी। यदि मरने वाले व्यक्ति के परिवार या इनके घनिष्ठ संबंधी को अंग दान देने से आपत्ति है और मृत व्यक्ति की ओर से किसी रिश्तेदार, नजदीकी दोस्त या क्लिनिकल कर्मचारी को इसकी अनुमति विशेष रूप से दी गई हो या उसके पास दाता कार्ड हो या उसने NOTTO वेबसाइट पर अपनी इच्छा दर्ज कराई हो, तो स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायिक संवेदनशील तरीके से परिवार के लोगों से इसकी चर्चा करेगा। उन्हें मृत व्यक्ति की इच्छा को स्वीकार करने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। किंतु यदि फिर भी परिवार को आपत्ति है तो दान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और दान नहीं होगा।

21. क्या हृदय की मौत के बाद दाता या दाता के हृदय की धड़कन के बीच अंगों में अंतर होता है?

हां, हृदय धड़कने वाले दाता का अर्थ है कि रोगी की मस्तिष्क मृत्यु घोषित की गई है और उसके अंगों को तब निकाला जा सकता है जब सहायक युक्तियों के साथ उसका हृदय धड़क रहा है। धड़कते हुए हृदय से अंगों को रक्त की आपूर्ति जारी रखी जाती है और अंगों में रक्त की कम आपूर्ति से कोई नुकसान नहीं होता है। हृदय की मृत्यु के बाद दान के मामले में, जब हृदय ने धड़कना बंद कर दिया है और अंगों में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। इस कारण हृदय की मृत्यु के बाद होने वाले दान तुरंत किए जाने चाहिए, क्योंकि रक्त की आपूर्ति के बिना एक निश्चित समय अवधि के बाद अंगों का इस्तेमाल करना संभव नहीं होगा।

22. एक रोगी को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु होने की तुलना में एक मस्तिष्क मृत रोगी के अंगों को प्रत्यारोपण के लिए इस्तेमाल क्यों किया जा सकता है?

ठोस अंग दान (हृदय, फेफड़े, यकृत, अग्न्याशय, गुर्दे) के लिए इन अंगों में निरंतर रक्त का परिसंचरण बनाए रखने की जरूरत होती है जब तक इन्हें निकाला नहीं जाता। यह मस्तिष्क मृत्यु के मामले में संभव है जहां इन अंगों को कुछ समय तक सहायता देकर कार्य करने की स्थिति में रखा जा सकता है। जबकि हृदय की मृत्यु के बाद भी अंग निकाले जा सकते हैं, बशर्ते समय का अंतराल कम से कम हो।

5. कानूनी और नैतिक मुद्दे

1. राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक को निष्कासन और संग्रहण नेटवर्क क्या है?

केंद्र सरकार ने मानव अंग और ऊतक को निष्कासन और संग्रहण के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया है, जिसका नाम एनओटीटीओ(NOTTO)है, जिसका अर्थ है राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक को निष्कासन और संग्रहण नेटवर्क। NOTTO के पांच क्षेत्रीय नेटवर्क हैं (ROTTO)और देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में SOTTO (राज्य मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन) विकसित किया जाएगा। देश के प्रत्येक अस्पताल में प्रत्यारोपण गतिविधि, चाहे इसका संग्रह या प्रत्यारोपण हो, यह एक राष्ट्रीय नेटवर्क के भाग के रूप में ROTTO / SOTTO के जरिए NOTTO से जुड़ा है।

2. राष्ट्रीय पंजीकरण क्या है?

अंग दान और प्रत्यारोपण के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण इस प्रकार है: –

1. अंग प्रत्यारोपण पंजीकरण: अंग प्रत्यारोपण पंजीकरण में प्रत्यारोपण (अंग/अस्पताल प्रतीक्षा सूची), दाता (जीवित दाता सहित संबंधित दाता, निकट संबंधियों के अलावा

दाता, स्वैप दाता और मृतक दाता की) अस्पतालों, प्राप्तकर्ता और दाता के अनुवर्तन के विवरण आदि की जानकारी और सभी पुर्नप्राप्ति और प्रत्यारोपण केंद्रों से आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। आंकड़ों को संग्रह वरीयता वेब आधारित इंटरफेस या जमा किए गए कागजों के जरिए किया जाएगा और यह जानकारी विशिष्ट अंग वार और समेकित फॉर्मेट दोनों में रखी जाएगी। अस्पताल या संस्थान उस अस्पताल या संस्थान में किए गए प्रत्यारोपणों की कुल संख्याक के साथ प्रत्येक प्रत्यारोपण के उचित विवरण अपनी वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट करेंगे और इन आंकड़ों को संकलन, विश्लेषण तथा उपयोग के लिए संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा लिया जा सकेगा।

2. अंग दान पंजीकरणः अंग दान पंजीकरण में दाता (जीवित और मृत दोनों) की जन संख्या सूचना, अस्पताल, लंबाई और वजन, पेशा, मृत दाता के मामले में मृत्यु का प्राथमिक कारण, इससे जुड़ी चिकित्सा बीमारियों, संगत प्रयोगशाला जांचों, दाता अनुरक्षण विवरण, ड्राइविंग लाइसेंस या दान की प्रतिज्ञा के अन्य दस्तावेज, उनके द्वारा अनुरोध किए गए दान, प्रत्यारोपण समन्वयक, प्राप्ती अंग या ऊतक, दान किए गए अंग या ऊतक के परिणाम, ग्राही के विवरण आदि होंगे।

3. ऊतक पंजीकरणः ऊतक पंजीकरण में ऊतक दाता, ऊतक पुर्नप्राप्ति या दान, मृतक दाता के मामले में मौत का प्रमुख कारण, दाता रखरखाव विवरण ब्रेन स्टेम मृत दाता, इससे जुड़ी चिकित्सा बीमारियों, प्रासंगिक प्रयोगशाला परीक्षण, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी अन्य दस्तावेज वचन दान के मामले में, जिनके द्वारा दान का अनुरोध किया गया, सलाहकारों की पहचान, लिए गए ऊतक या अंग, ऊतक प्राप्तकर्ता के बारे में जनसांख्यिकीय डेटा, गंभीर रोगियों के लिए प्रत्यारोपण करने वाले अस्पताल, प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची और प्राथमिकता सूची का रखरखाव, यदि इसमें प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपित ऊतक के परिणाम, आदि का संकेत है, के विवरण आदि होंगे।

4. अंग दाता प्रतिज्ञा पंजीकरणः राष्ट्रीय अंग दाता रजिस्ट्रर एक कंप्यूटर डेटा बेस है, जिसमें उन लोगों की इच्छाएं दर्ज की जाती है, जिन्होंने अपने ऊतकों और अंगों के दान की प्रतिज्ञा ली है। व्यक्ति अपने जीवन के दौरान ही अपनी मृत्यु के बाद अपने ऊतकों या अंगों के दान की प्रतिज्ञा ले सकते हैं और इसके लिए प्रपत्र 7 भरना होता है जिसे ऑनलाइन या कागज के रूप में संबंधित नेटवर्किंग संगठन में जमा किया जा सकता है और प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति के पास सूचना देकर अपनी प्रतिज्ञा वापस लेने का विकल्प होता है।

ऐसे अनेक अस्पताल और संगठन हैं जहां उन व्यक्तियों की सूची रखी गई है जो उनके साथ अंग दान करने की प्रतिज्ञा लेते हैं जिन्हें राष्ट्रीय अपने ऊतक और अंग प्रत्यारोपण संगठन में राष्ट्रीय रजिस्टार में भेजा जाएगा।

3. अंग दान पर कानूनी स्थिति क्या है?

कानून के तहत अंग प्रत्यारोपण और दान की अनुमति दी जाती है और इसे 'मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994" के तहत कवर किया गया है, जिसमें जीवित और मृत मस्तिष्क दाताओं द्वारा अंग दान की अनुमति दी गई है। वर्ष 2011 में अधिनियम के संशोधन के जरिए मानव ऊतकों के दान को इसमें शामिल किया गया है और इस प्रकार संशोधित अधिनियम "ऊतकों और अंगों के प्रत्यारोपण अधिनियम 2011" कहलाता है।

4. अंग तस्करी क्या है?

वर्तमान परिदृश्य में ठोस अंगों की मांग आवश्यकता पूरी करने से बहुत दूर है, अतः लोग अपने प्रियजनों का जीवन बचाने के लिए अलग अलग तरीकों से इसे पूरा करते हैं। अनेक दृष्टांतों में, जीवित दान वाणिज्यिकृत हो गया है, खास तौर पर जीवित असंबंधित समूहों में। यह एक विवादास्पोद मुद्दा है। गरीब और जरूरत मंद लोगों का शोषण होता है, वे पैसे के बदले अपने अंग बेच देते हैं और वे सर्जरी तथा ऑपरेशन के बाद होने वाली देखभाल की गंभीरता को नहीं समझते, जो की गई है। यह देखा जाता है कि आम तौर पर विकसित देशों के लोग प्रत्यारोपण के लिए विकासशील देशों में रोगियों को लेकर आते हैं।

5. लोग अंगों को बेच / खरीद सकते हैं?

नहीं। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (THOA) के अनुसार किसी भी प्रकार से अंगों की बिक्री/खरीद दण्डनीय है और इसमें कोई उल्लेखनीय वित्तीय तथा न्यायिक दण्ड दिया जा सकता है। न केवल भारत में, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किसी अंग की बिक्री की अनुमति नहीं है।

6. यदि मुझे लगता है कि अंगों की बिक्री की जा रही है तो मैं किससे रिपोर्ट कैसे करूं?

लत रिकॉर्ड जमा करने या अन्य किसी उल्लंघन के मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में की जानी चाहिए। किसी भी अस्पताल, प्राधिकरण समिति या राज्य के उचित प्राधिकरण में किसी व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। उचित प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दायर किया जा सकता है। संशोधित मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (टीएचओए) के अनुसार इसके लिए निम्नानुसार अपराध /दण्ड की व्यवस्था की है :

अपराध : टीएचओ अधिनियम 2011 संशोधन	कारावास	जुर्माना
प्राधिकार के बिना अंगों को निकालना	10 वर्ष	20 लाख रू0
आरएमपी के लिए जुर्माना प्राधिकार	पहला अपराधः 3	दूसरा अपराधः स्थायी पंजीकृत समापत

के बिना अंगों को निकालना	साल के लिए पंजीकृत समापत	
अंगो का वाणिज्यिक देन, दस्तावेजों का मिथ्याकरण	5 - 10 वर्ष	20 लाख- 1 करोड़ रू0
टीएचओ को कोई उल्लंघन	5 वर्ष	20 लाख रू0

7. जीवित असंबंधित दान के साथ नैतिक चिंताएं क्या हैं?

डॉक्टरों को इसके मामले में दाताओं के संभावित भावनात्मक / वित्तीय शोषण को लेकर चिंता है जो ग्राही के परिवार के लोग और प्रत्यारोपण करने वाले अस्पताल करते हैं। उन्हें यह भी चिंता है कि अंगों की बढ़ती मांग के साथ निर्धन दाताओं को सम्मान के साथ जीवित रहने के अधिकार को ठुकराया जा सकता है। प्रत्यारोपण अस्पताल छानबीन की उचित प्रणाली और सभी अनुप्रयोगों की संवीक्षा के लिए अस्पताल/जिला/राज्य में इसकी उचित व्यवस्था होती है। आज जीवित असंबंधित दान अधिक पारदर्शी और सुचारु बन गया है।

8. ''जरूरी अनुरोध'' क्या है?

जरुरी अनुरोध मृत दाता प्रत्यारोपण के लिए व्यक्ति की सहमति पाने का एक तरीका है। कोई भी व्यक्ति जो अपने अंगों और ऊतकों को अपनी मृत्यु के बाद दान करने का इच्छुक है तो उसे यह प्रतिज्ञा लेनी होती है कि उसकी मौत के बाद उसके अंगों का इस्तेमाल प्रत्यारोपण और अन्य लोगों का जीवन बचाने में किया जा सके। मृत्यु के समय अस्पताल के कर्मचारी मृत व्यक्ति के परिवार से संपर्क करते हैं और अपने प्रिय जन के अंग और ऊतक दान देकर अन्य लोगों का जीवन बचाने का अनुरोध करते हैं। इस तरीके को ''विकल्प'' मार्ग भी कहते हैं।

9. ''परिकल्पित सहमति'' क्या है?

परिकल्पित सहमति मार्ग में अंग दान के लिए मृत्यु के समय प्रत्येक व्यक्ति को सहमत होना चाहिए, जब तक उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल के दौरान यह निर्णय नहीं लिया हो कि वह अपनी मृत्यु के बाद अंगों एवं ऊतकों का दान करने का इच्छुक नहीं है। इस प्रणाली को भी ''विकल्पि हटाने'' की प्रणाली कहते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश है, जहां लोगों ने अंग दान के लिए परिकल्पित सहमति का विकल्पो अपनाया है और वे मानते हैं कि परिकल्पित सहमति मार्ग से अंग दान की दर आम तौर पर बढ़ जाती है। जबकि सभी लोग इससे सहमत नहीं हैं। भारत में इस मार्ग को नहीं अपनाया जाता है।

10. "सूचित सहमति" क्या है?

सूचित सहमति ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विशिष्ट अंग और ऊतक का दान नहीं किया जाता। यह इस बात को पूरी तरह समझने पर आधारित एक करार है जो किया जाएगा और यह एक चिकित्सात उपचार के रूप में होगा। सूचित सहमति में जानकारी साझा की जाती है और चिकित्साक उपचार के संबंध में विकल्प। बनाने की स्वतंत्रता होती है और उसे समझा जाता है।

11. मेडिको–लीगल मामले क्या हैं?

जब एक दुर्घटना के घायल व्यक्ति को अस्पताल में आपातकालीन उपचार के लिए लाया जाता है तो परिवार की ओर से नजदीकी पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। आम तौर पर इन मामलों को मेडिको लीगल मामले कहते हैं। साथ ही किसी चिकित्साज उपचार (आत्महत्या, दुव्यर्वहार, जहर पीने या गिर जाने के लिए), जिसके लिए पुलिस को सूचित करने की जरूरत होती है, इसे मेडिको लीगल मामला कहते हैं।

पुलिस द्वारा घटना की जानकारी प्राप्त की जाती है और मामले को देखा जाता है। एक फोरेंसिक डॉक्टर रोगी की जांच करेगा और वह अंग प्राप्ति की अनुमति या अस्वीकृति देगा।

12. क्या ब्रेन स्टेम मौत की घोषणा करने के लिए किसी भी तरह से पुलिस विभाग शामिल है?

पुलिस विभाग को सूचित करना होता है कि यदि रोगी के मस्तिष्क की मौत हो गई है और यह एक मेडिको लीगल मामला है, किंतु मस्तिष्क की मौत की घोषणा डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा ही की जा सकती है।

13. अंग प्रत्यारोपण के लिए भारत सरकार आर्थिक रूप से समर्थन करता है?

हां। अंग प्रत्यारोपण के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंग और प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) आरंभ किया है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों को प्रत्यारोपण के खर्च के अलावा प्रत्यारोपण के बाद एक वर्ष तक दवाओं का खर्च पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से समर्थन दिया जाता है। इसके अलावा सभी सार्वजनिक अस्पताल में गुर्दा प्रत्यारोपण पर भारत सरकार की नीति के अनुसार सब्सिडी दी जाती है।

14. क्या यह संभव है कि यदि आप, अमीर अच्छे संपर्क से जुड़े हुए हैं और प्रभावशाली हैं तो प्रतीक्षा सूची में आपका स्थान पहले होगा?

नहीं। भारत में, प्रतीक्षा सूची के ग्राहियों को अंग का आबंटन पहले से निर्धारित मानदण्डों पर आधारित है, जिसमें पंजीकरण की तिथि और चिकित्सा मानदण्ड शामिल

होते हैं। एक व्यक्ति की संपत्ति, नस्ल या लिंग से प्रतीक्षा सूची में उसके स्थान पर कोई प्रभाव नहीं होता और न ही यह तय होता है कि उस व्यक्ति को अंग का दान किया जाएगा। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में भारत में मानव अंगों की बिक्री या खरीद को गैर कानूनी बताया गया है।

15. किसी को एक अंग की सख्त जरूरत है तो एक विशेष अपील करने का कोई बिंदु है?

आम तौर पर कोई विशेष अपील करने से कुछ अधिक व्यक्ति दाता बनने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस प्रकार अंग दान करने की शपथ लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। जबकि, समाचार पत्रों और टेलीविजन के जरिए अपील करने वाले परिवारों को उस व्यक्ति के लिए तुरंत कोई अंग उपलब्ध नहीं होगा, जिसके लिए अपील की गई थी। रोगी अब भी प्रतीक्षा सूची में बना रहेगा, जैसे कि अन्य लोग हैं, और दाता अंगों को ग्राहियों के साथ मिलान करने और इनके आबंटन के नियमों को अब भी लागू किया जाता है।

16. यह सही है कि एक जीवित व्यक्ति से एक स्वस्थ अंग निकालकर और दूसरे को दे दिया जाए?

अंग प्रत्यारोपण केवल एक जीवन रक्षक उपचार है। यह प्रत्यारोपण दल के लिए सर्वोत्तम निर्णय होता है कि वे एक जीवित व्यक्ति से अंग निकालकर उसे दान के रूप में लगाते समय इन दो मुद्दों को ध्यान में रखें कि इससे दाता को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और यह ग्राही के लिए लाभकारी होना चाहिए। यह निर्णय केवल प्रत्यारोपण दल ले सकता है कि क्या रोगी को होने वाला लाभ दाता के सामने आने वाले जोखिम की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्यारोपण दल दाता की रोग और मृत्युदर को विचार में ले, जबकि इसका शुद्धतापूर्वक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।